

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फ़ैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRPS-LSBA/Admn/55/18/137

दिनांक: 22-05-2018

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०
प्रशासी पदाधिकारी-सह- राज्य समन्वयक
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
समस्तीपुर।

विषय: जिला समन्वयक/जिला सलाहकार- MLE & MIS, जिला सलाहकार- CB & IEC, जिला सलाहकार- SLWM को दी जाने वाली FLTA Allowance के संबंध में।

प्रसंग: आपका पत्रांक 971 दिनांक 04.05.2018.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, समस्तीपुर के FLTA भुगतान संबंधी मार्गदर्शन की मांग की गयी है। विदित है कि जिला समन्वयकों एवं जिला सलाहकारों का देय FLTA उनके मानदेय का हिस्सा है, तथा इसका उद्देश्य उन्हें क्षेत्र भ्रमण हेतु प्रेरित करना है। मानव संसाधन निर्देशिका (HR Manual) की कंडिका 10C के आलोक में क्षेत्रभ्रमण न्यूनतम 15 (पंद्रह) दिन होने पर पूर्ण FLTA देय होगा।

अतः जिला कार्यालय द्वारा क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में भी FLTA नियमानुसार देय होगा।

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

22/5/18
(राजीव कुमार सिंह)

प्रतिलिपि: जिला समन्वयक, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष/निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ प्रेषित।